प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

03 अवैध तमचा कारतूस सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05.06.22

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में सघन चेकिंग एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

दिये गये निर्देश के क्रम में थाना इमलिया सुल्तानपुर, खैराबाद व कोतवाली देहात की पुलिस टीमों द्वारा चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को 03 अवैध शस्त्र व कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विवरण निम्नवत् है-

1. **थाना इमलिया सुल्तानपुर द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तारः-**
थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त रिंकू पुत्र बद्री प्रसाद गौतम निवासी ग्राम इंदिरा नगर थाना रामकोट को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो पूर्व में मु0अ0सं0 219/22 धारा 379/511 भादवि में वांछित चल रहा था। जिसके पास से एक अदद तमंचा व कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु0अ0सं0 226/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

2. **थाना खैराबाद द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तारः-** थाना खैराबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त रमेश गोडिया पुत्र नत्था गोडिया निवासी ग्राम प्रयागपुर मजरा हुसैनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसके पास से एक अदद अवैध तमंचा व एक कारतूस बरामद हुआ है। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु0अ0सं0 236/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

3. **थाना कोतवाली देहात द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित गिरफ्तारः-** थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त मुकेश कुमार वर्मा पुत्र राजेश उर्फ राजू निवासी सहरोई कालिकाबक्श थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक अदद अवैध तमन्चा व कारतूस 12 बोर बरामद हुआ । बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मु0अ0सं0 218/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

थाना खैराबा
जनपद - सीतापुर
मो॰नं॰ सी.यू.जी. 9454404250

थाना इमलिया सुल्तानपुर-सीतापुर